भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3242** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

"हरित सागर " ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश

†3242. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हरित सागर" हरित ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देशों में कौन-कौन से विशेष उपाय शामिल हैं;

(ख) इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से पत्तन संचालन में पर्यावरणीय स्थिरता और प्रदूषण नियंत्रण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) देश भर के विभिन्न पत्तनों पर "हरित सागर" दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) प्रदूषण न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन दिशानिर्देशों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने की सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) पत्तनों पर हरित प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग और समुद्री उद्योग के हितधारकों के साथ क्या सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी "हरित सागर" हरित पत्तन दिशा-निर्देशों में सभी महापत्तनों में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपायों की रूपरेखा दी गई है। इनमें हरित क्षेत्र बढ़ाना, पत्तन उपस्करों और वाहनों का विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, तट-से-पोत तक विद्युत आपूर्ति का प्रावधान, तटीय नौवहन को बढ़ावा देना, अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और ऊर्जा-दक्ष अवसंरचना का उपयोग शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों में हरित हाइड्रोजन अवसंरचना, वर्षा जल संचयन और हरित नौवहन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है।

(ख): इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन से पत्तनों पर कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने, ऊर्जा और जल दक्षता बढ़ने, और पत्तनों में वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है। तट से पोत तक विद्युत और हरित ईंधन भरने की अवसंरचना से, बर्थ पर जलयानों से होने वाला वायु और जल प्रदूषण कम से कम होगा, जबकि हरित पट्टी और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों से पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतती और प्रदूषण नियंत्रण में योगदान मिलेगा।

(ग) और (घ): अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी महापत्तनों के लिए पर्यावरण संबंधी निष्पादन संकेतकों (ईपीआई) के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा के साथ कार्य योजनाएँ तैयार करना अधिदेशित है। इन योजनाओं में वायु, जल, शोर गुल और तरल अपशिष्टों के लिए वास्तविक समय निगरानी प्रणालियां स्थापित करने के साथ-साथ स्वतंत्र वार्षिक पर्यावरणीय लेखापरीक्षा भी शामिल हैं।

(ङ): दिशा-निर्देशों में टर्मिनल प्रचालकों, शिपिंग लाइनों, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं, सरकारी एजेंसियों और निजी संस्थाओं सहित हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग पर ज़ोर दिया गया है। स्वच्छ ईंधन या विद्युत उपस्करों का उपयोग करने वाले जलयानों और प्रचालकों के लिए प्राथमिकता बर्थिंग और शुल्क में छूट जैसे प्रोत्साहन देने को प्रोत्साहित किया गया है। मंत्रालय, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने के लिए जलयान संबंधी शुल्क (वीआरसी) छूट, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले जलयानों के लिए वीआरसी छूट, हाइब्रिड और हरित जलयानों के निर्माण के लिए शिपयार्डों को पोत निर्माण वित्तीय सहायता आदि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करता है, ताकि प्रचालनों के पारंपरिक से हरित और टिकाऊ तरीके में निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

*****